न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–80/2015/भीलवाड़ा (2015/00003)

1. कंवरी बेवा हजारी,
2. तेजू पुत्र हजारी,
3. संतोष पुत्री हजारी,

समस्त जाति धाकड़, निवासी मुकनपुरिया, तह0 माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा

अपीलांट्स

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र नारायण, जाति धाकड़, नि0 मुकनपुरिया, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू0अ0) माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा दिनांक 26.6.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 27/2014.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 .

निर्णय

दिनांक :– 17.5.2018

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार (भू0अ0) माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित आदेश दिनांक 26.6.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने तहसीलदार, माण्डलगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र नामांतकरण दर्ज करने बाबत् अपीलांट्स के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा मुकनपुरिया अवस्थित आराजी खसरा संख्या 179/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 415/61 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 491/415 रकबा 5 बिसव गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि मांगू उर्फ मांग्या पुत्र भूरा के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि है । मांगू

उर्फ मांग्या के खाते में इसी प्रकार आराजी खसरा संख्या 189 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 195 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 197 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 198 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 199 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 200 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा में 1/2 हिस्सा शामलाती दर्ज रिकार्ड है । मांगू उर्फ मांग्या का स्वर्गवास दिनांक 8. 5.2014 को अविवाहित ला–औलाद हो चुका है । रेस्पो0 मांगू उर्फ मांग्या के सगे भाई नारायण का पुत्र होकर मांगू का भतीजा है । स्व0 मांगू उर्फ मांग्या ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.1.2009 को दो गवाहों की उपस्थिति में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कर अपनी समस्त चल अचल सम्पति का उत्तराधिकार अपनी मृत्यु के बाद रेस्पो0 को नियुक्त कर दिया था । अतः उक्त वसीयतनामें के आधार पर मांगू उर्फ मांग्या के नाम दर्ज आराजियात का नामांतकरण रेस्पो0/प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 26.6.2015 को प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयतनामा के आधार पर नामांतकरण रेस्पो0 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई ।

xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, माण्डलगढ़ ने बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना कब्जा व मौके की जांच किये तथाकथित वसीयत के आधार पर रेस्पो0 के नाम नामांतकरण खोले जाने के आदेश पारित करने में अपने क्षैत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि मृतक मांगू उर्फ मांग्या का वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा निहित नहीं है तथा मांगू उर्फ मांग्या की सेवा सुश्रुषा रेस्पो0 ने नहीं की, बल्कि उसकी सेवा सुश्रुषा अपीलांटस एवं नारायण, बालू व गुलाबी सभी करते थे । स्वं0 मांगू ने अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार का वसीयतनामा रेस्पो0 के हक में निष्पादित नहीं कराया था एवं तथाकथित वसीयतनामा फर्जी एवं कूटरचित है। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों की जांच किये बिना अपने संक्षिप्त निर्णय से रेस्पो0 के पक्ष में नामांतकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थना पत्र में दर्शायी समस्त भूमि पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपीलांटस एवं रेस्पो0 के नाम चली आ रही है । उक्त सम्पूर्ण आराजी स्वअर्जित नहीं है तथा विवादित आराजियात शामलाती है जिस पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित

आराजियात पुश्तैनी होने से मांगू उर्फ मांग्या को वसीयत करने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् पक्षकारान के मध्य नियमित वाद के विचाराधीन रहते प्रकरण में नामांतकरण खोला जाना न्यायोचित नहीं है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याायलय का आदेश दिनांक 26.6.2015 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेट ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि मौजा मुकनपुरिया अवस्थित आराजी खसरा संख्या 179/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 415/61 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 491/415 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि मांगू उर्फ मांग्या पुत्र भूरा के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि है । इसी प्रकार मांगू उर्फ मांग्या के खाते में आराजी खसरा संख्या 189 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 195 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 197 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 198 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 199 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 200 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा में 1/2 हिस्सा शामलाती दर्ज रिकार्ड है । मांगू उर्फ मांग्या का स्वर्गवास दिनांक 8.5. 2014 को अविवाहित ला–औलाद हो चुका है । मांगू उर्फ मांग्या की जीवनपर्यन्त सेवा–सुश्रुषा रेस्पो0 ने ही की थी । रेस्पो0 नाथूलाल मांगू उर्फ मांग्या के सगे भाई नारायण का पुत्र होकर मांगू उर्फ मांग्या का भतीजा है। मांगू उर्फ मांग्या ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.1.2009 को दो गवाहों की उपस्थिति में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कर अपनी समस्त चल–अचल सम्पति का उत्तराधिकारी रेस्पो0 नाथूलाल को नियुक्त किया था । अधी0न्याया0 ने उक्त पंजीकृत वसीयत के आधार पर मृतक मांगू उर्फ मांग्या की आराजियात रेस्पो0 के नाम जरिये नामांतकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । पंजीकृत वसीयत को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना अपीलांट्स को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि मांगू उर्फ मांग्या की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 ही विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के न्यायालय में चले वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के वादपत्र एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वाद मांगू उर्फ मांग्या द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो वादी मांगू उर्फ मांग्या के पक्ष में डिक्री हुआ है । उक्त वाद में अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने अपने जवाब दावे में वादी के वाद को स्वीकार किया तथा वाद डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित

किया है । अपीलांटस वाद में दिये अपने जवाब से प्रतिबंधित है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिससे मृतक मांगू उर्फ मांग्या को वसीयत करने का हक नहीं था । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजियात मृतक मांगू उर्फ मांग्या की स्वअर्जित आराजियात है तथा मांगू उर्फ मांग्या ने अपने जीवनकाल में रेस्पो0 नाथूलाल के पक्ष में विवादित आराजियात बाबत् पंजीकृत वसीयत दिनांक 30.1.2009 को निष्पादित की है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 नाथूलाल मृतक मांगू उर्फ मांग्या पुत्र भूरा के सगे भाई नारायण का पुत्र है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 30.1.2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक मांगू उर्फ मांग्या ने ग्राम मुकनपुरिया में स्थित है अपनी स्वअर्जित समस्त चल व अचल सम्पति एवं आराजियात रेस्पो0 नाथूलाल पुत्र नारायण के पक्ष में वसीयत की है । उक्त पंजीकृत वसीयत में भवानीराम पुत्र बालू धाकड़ तथा उदयलाल पिता भैरूलाल धाकड़ ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 नाथूलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत को प्रमाणित मानकर खातेदार द्वारा की गई वसीयत अनुसार खातेदार के नाम ग्राम मुकनपुरिया में दर्ज भूमि को वसीयतग्रहिता नाथूलाल के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि ''मृतक मांगू उर्फ मांग्या के नाम 17 बीघा 5 बिस्वा में 1/2 एवं 3 बीघा 5 बिस्वा संपूर्ण रिकार्ड दर्ज है जो एस0बी0आई0 बैंक के नाम रहन दर्ज है । इसी रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने आगे अंकित किया है कि खसरा नंबर 415/61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 491/415 रकबा 2 बीघा के अलावा अन्य भूमि पुश्तैनी है । उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में अंकित है कि 3 बीघा 5 बिस्वा संपूर्ण व 17 बीघा 5 बिस्वा में 3 बीघा पर नाथू पुत्र नारायण का कब्जा है ।'' उक्त रिपोर्ट की पुस्त पर ऑफिस कानूनगो ने अपनी टिप्पणी में मृतक मांगू उर्फ मांग्या के और भी निकट संबंधी होने का अंकन किया है । प्रकरण में जहां तक उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा वाद संख्या 73/2010 बउनवान मांग्या उर्फ मांगू बनाम तेजू व अन्य को वादी के पक्ष में डिक्री किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में रेस्पो0 द्वारा निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त वाद विवादित भूमि स्वअर्जित होने अथवा पुश्तैनी होने के आधार पर डिक्री किया गया हो । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में विवादित आराजियात स्वअर्जित होने अथवा पुश्तैनी होने के संबंध में कोई

विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर मात्र वसीयत को प्रमाणित मानते हुए वसीयत के आधार पर रेस्पो0 के पक्ष में नामांतकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.6. 2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार, माण्डलगढ़ को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 80/2015 (2015/00003) बउनवानी कंवरी बनाम नाथूलाल को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/14 में पारित आदेश दिनांक 26.6.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, माण्डलगढ़ को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि इस तथ्य की जांच करे कि मृतक मांगू उर्फ मांग्या द्वारा वसीयत की गई आराजियात स्वअर्जित थी अथवा पुश्तैनी एवं यदि विवादित आराजियात पुश्तैनी पायी जावे तो मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे एवम् आंशिक / पूर्णरूप से स्वअर्जित पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 17.5.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर